20रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

91

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग - 5पत - II-16

मिठूलाल पिता श्री परम राउत (आदिवासी)
निवासी ग्राम ढाँड़, तह. बीना, जिला सागर म0प्र0

........आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन

..............अनावेदक

डी.के. पारासर को दि. 15/02/16 को द्वारा आज प्रस्तुत

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला–सागर म.प्र. के प्रकरण क्रमांक 13अ/21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 09–11–15 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम ढाँड़ तह. बीना जिला–सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 117 रकवा 1.58 हे0 भूमि आवेदक के भूमि स्वामित्व की भूमि थी जिसके विक्रय की अनुमति चाहीगई थी इसके अतिरिक्त आवेदक के पास शासन से प्राप्त भूमि भी खसरा नंबर 879/11 रकवा 0.70 हे0 भूमि भी शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि है। जिसे आवेदक को भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए थे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वामित्व में दर्ज है।

डी. के. पारसी (एड.) राजस्व मण्डल, मोतीमहल, म.प्र. ग्वालियर मो.: 9753356589

2. यह कि आवेदक द्वारा उसके भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 117 जिसे काबिल काश्त बनाने के लिए काफी धन व्यय किया परंतु वह काबिल कास्त नहीं बन पाई जिस कारण से उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर के समक्ष उक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, साथ ही साथ यह भी निवेदन कि आवेदक बीमारी से पीड़ित है इस कारण उसे पैसे की आवश्यकता है जिससे वह अपना ईलाज कराकर अपने परिवार का भरण पोषण विधिवत् रूप से कर सकें। क्योंकि आवेदक को चाही गई अनुमति वाली भूमि से कोई लाभ अर्जित नहीं हो रहा है तथा शेष भूमि से वह अपने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-547/III/16 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-2-16.	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क श्रवण किए। 2— प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी कलेक्टर सागर के प्रकरण क्र. 13 अ/21 वर्ष 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 09/11/15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा कलेक्टर सागर ने आवेदक द्वारा जिस भूमि के विक्रय की अनुमति चाही गयी थी उसके स्थान पर अन्य भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने का आदेश पारित किया है। 3— आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आराजी ग्राम ढॉड तह. बीना जिला सागर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 117 रकवा 1.58 हेक्टेयर भूमि आवेदक की भूमिस्वामी स्वामित्व की भूमि है। जिसको विक्रय किए जाने की अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उक्त प्रश्नाधीन भूमि के स्थान पर खसरा क्रमांक 879/11 रकवा 0.70 हे के विक्रय की अनुमति प्रदान की दी है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह इस आधार पर दिया गया कि भूमि बंजर व कृषि कार्य हेतु उपयुक्त भूमि नहीं है। आवेदक द्वारा यह कथन भी किया था की अत्याधिक वृद्व हो गया है तथा उसकी कोई संतान नहीं है तथा वह बीमार रहता है जिस कारण से इलाज हेतु उसे पैसों की आवश्यकता है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 4. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर सागर ने समस्त विधिक प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत आवेदक को भूमि के विक्रय की अनुमति तो प्रदाय की गयी है परंतु उसके द्वारा जिस भूमि के विक्रय की अनुमति चाही गयी थी उसके स्थान अन्य भूमि विक्रय की अनुमति प्रदाय की गयी है। नायब तहसीलदार द्वारा भी अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन भूमि विक्रय किए जाने पर कोई अपत्ति ना होना लेख किया गया है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत तथा प्रकरण की अघतन स्थिति के परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः कलेक्टर सागर द्वारा प्रश्नगत् पारित आदेश दिनांक 9/11/2016 निरस्त करते हुए आवेदक को ग्राम ढॉड स्थित भूमि खसरा क्रमांक 117 रकवा 1.58 हे भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उप पंजीयक के समक्ष वर्तमान वर्ष की शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाइन के अनुसार आवेदक को विक्रय मूल्य प्राप्त हो। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। सदस्य	